[2025] 2 एस.सी.आर. 2122 : 2025 आई.एन.एस.सी. 817

गौरी महतो उर्फ़ गौरी कुमार

बनाम

बिहार राज्य

(2016 की आपराधिक अपील संख्या 1134)

27 फरवरी 2025

[जे.के. महेश्वरी* और अरविंद कुमार, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

वर्तमान मामले के तथ्यों में, क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत *प्रथम दृष्टया* अपराध बनता है या नहीं।

निर्णय-सार†

दंड संहिता, 1860 – धारा 364-ए – फिरौती आदि के लिए अपहरण – धारा 364-ए के तहत अपराध, यदि अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया बनता है:

अवधारित: नहीं – यह निर्धारित करने के लिए कोई जांच नहीं की गई थी कि वह घर जहाँ से बच्चे (अभियोजन साक्षी-12) को बरामद किया गया था, अपीलकर्ता का था या नहीं – बच्चे के पिता (अभियोजन साक्षी-13) या स्वयं बच्चे द्वारा अपीलकर्ता की पहचान नहीं की गई थी – अपीलकर्ता द्वारा फिरौती की किसी भी मांग के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है – इसके अलावा, बच्चे ने अपनी गवाही में ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया कि अपीलकर्ता ने उसे मृत्यु कारित करने या चोट पहुँचाने की धमकी दी थी – अभियोजन का मामला खामियों से ग्रस्त है और जहाँ तक वर्तमान अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता का संबंध है, गंभीर संदेह पैदा करता है – यह धारा 364-ए के तहत परिकल्पित शर्तों को एक साथ सिद्ध करने में विफल रहा, विशेष रूप से *शेख अहमद* वाद में इस न्यायालय के निर्णय की कंडिका 33

---

* *लेखक

के संदर्भ में – प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित सजा और दोषसिद्धि के निर्णय को, जिसकी उच्च न्यायालय ने अपील में पुष्टि की थी, अभिखंडित किया जाता है। [कंडिका 12-14, 15]

दंड संहिता, 1860 – धारा 364-ए – फिरौती आदि के लिए अपहरण – तीन आवश्यक तत्व – चर्चा की गई। [कंडिका 10]

शब्द और वाक्यांश – दंड संहिता, 1860 की धारा 364-ए में पहली शर्त के बाद 'और' – महत्व, बताया गया। [कंडिका 10]

न्याय दृष्टान्त

शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य **[2021] 6 एस.सी.आर. 462 : (2021) 9 एस.सी.सी. 59 – पर अवलंबित।**

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

दंड संहिता, 1860 की धारा 364-ए; फिरौती के लिए अपहरण; दंड संहिता, 1860 की धारा 364-ए के तहत शर्तें; लूट; बच्चे का अपहरण; फिरौती का पत्र; फिरौती की कोई मांग नहीं; बच्चे को मृत्यु कारित करने या चोट पहुँचाने की कोई धमकी नहीं।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की आपराधिक अपील संख्या 1134

पटना उच्च न्यायालय के सी.आर.एल.ए.पी. संख्या 1051/2009 में दिनांक 22.07.2015 के निर्णय एवं आदेश से उद्भूत।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्तागण:

सुश्री फौजिया शकील, सुश्री तस्मिया तलेहा।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्तागण:

समीर अली खान, अनिल कुमार वर्मा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

जे.के. महेश्वरी, न्यायमूर्ति।

1. भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "**भा.दं.सं.**") की धारा 364-ए के तहत दोषसिद्धि और सजा के दिनांक 22.07.2015 के निर्णय को चुनौती देते हुए, जिसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1051/2009 में पारित किया गया था और जिसके माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बाढ़ द्वारा सत्र विचारण संख्या 1046/2004 में पारित दिनांक 27.10.2009 के निर्णय की पुष्टि की गई थी, यह वर्तमान अपील अपीलकर्ता-सिद्धदोषी द्वारा दायर की गई है। अपीलकर्ता को 5000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और चूक की स्थिति में, तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि, दिनांक 24.10.2002 को लगभग रात्रि 8.30 बजे, घातक हथियारों से लैस तीन अज्ञात अभियुक्त व्यक्ति राजेंद्र कुमार (सूचक, अभियोजन साक्षी-13) के घर में घुस आए और कुछ नकदी एवं सोने के आभूषण लूट लिए। उक्त घटना में, उन्होंने सूचक और उसकी पत्नी सुमा कुमारी (अभियोजन साक्षी-15) को भी बांध दिया और उनके बड़े बच्चे, उन्नत राज (अभियोजन साक्षी-12), जिसकी आयु आठ वर्ष थी, का इस धमकी के साथ अपहरण कर लिया कि यदि सूचक ने शोर मचाया या पुलिस को सूचित किया तो वे लड़के को मार डालेंगे। जैसा कि आरोप है, अभियुक्त व्यक्तियों ने एक फिरौती का पत्र भी छोड़ा जिसमें 30.10.2002 तक रामपुर डुमरा स्टेशन के पास 6 लाख रुपये पहुँचाने की मांग की गई थी, ऐसा न करने

पर लड़के को मार दिया जाएगा।

3. अभियोजन का मामला आगे यह है कि जाते समय अभियुक्त व्यक्तियों ने सूचक और उसकी पत्नी को अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया और दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया। सूचक ने किसी तरह खुद को मुक्त किया और छत की ओर भागा, जहाँ से उसने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अभियुक्त व्यक्तियों को बच्चे के साथ भागते हुए देखा। उक्त आधार पर, प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के दौरान, वर्तमान अपीलकर्ता के साथ-साथ 6 अन्य अभियुक्तों, अर्थात् सुधीर महतो, दिवाकर यादव, दयानंद महतो, प्रमोद कुमार, ध्रुव यादव और अवधेश यादव उर्फ गामा यादव के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 364-ए/395/120(बी)/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया। विचारण संपन्न हुआ और वर्तमान अपीलकर्ता को एक अन्य अभियुक्त सुधीर महतो के साथ भा.दं.सं. की धारा 364-ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि अन्य अपराधों के लिए उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

4. विचारण के दौरान, अभियोजन ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि बच्चे को वैध संरक्षण से अवैध रूप से ले जाया गया था या नहीं, 15 साक्षियों का परीक्षण किया। विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से राजेंद्र कुमार (अभियोजन साक्षी-13, सूचक/बच्चे के पिता), सुमा कुमारी (अभियोजन साक्षी-15, बच्चे की माता) और उन्नत राज (अभियोजन साक्षी-12, अपहृत बच्चा) के बयानों के साथ-साथ अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजी साक्ष्य का अवलंबन लिया और यह माना कि बच्चे को माता-पिता के वैध संरक्षण से अवैध रूप से ले जाया गया था। तीनों साक्षी घटना की तिथि पर अपहरण की घटना के संबंध में सुसंगत थे। जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है कि कथित घटना में कौन शामिल थे, विचारण न्यायालय ने प्राथमिक रूप से कृष्ण चंद्र (अभियोजन साक्षी-11, अन्वेषण अधिकारी) के बयान पर विचार किया, जिन्होंने गवाही दी थी कि बच्चे के माता-पिता से मांगी गई फिरौती को बरहिया रेलवे स्टेशन के पास स्थित मंदिर में

सफेद कमीज, फुल पैंट और गमछा पहने एक व्यक्ति द्वारा अपहरणकर्ताओं को सौंपा जाना था, जिसे विक्रमशिला ट्रेन से यात्रा करनी थी। इसके पश्चात, जाल बिछाया गया और जब तीन बदमाश फिरौती लेने आए, तो प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद महतो नामक एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य दो भाग निकले।

5. पूछताछ करने पर, प्रमोद कुमार ने अपने इकबालिया बयान में वर्तमान अपीलकर्ता, नंदन महतो, मोहम्मद अजम, दिवाकर यादव, ध्रुव यादव और विकास दास के कथित अपराध में शामिल होने के नामों का खुलासा किया। उसने आगे यह बताया कि बच्चा गौरी महतो (वर्तमान अपीलकर्ता) के पास है और यदि छापेमारी की जाती है, तो बच्चे को बरामद किया जा सकता है। तदनुसार, अपीलकर्ता के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं मिला, जिसके बाद, प्रमोद महतो द्वारा किए गए अतिरिक्त खुलासे पर, अपीलकर्ता के दूसरे घर पर एक और छापेमारी की गई और बच्चा घर की छत पर स्थित एक कमरे में सोता हुआ पाया गया। वर्तमान अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त सुधीर महतो उर्फ सुधीर कुमार भी उस कमरे में पाए गए। बच्चे की बरामदगी स्वतंत्र साक्षियों और सूचक/पिता की उपस्थिति में की गई तथा वस्तुओं की जब्ती सूची (प्रदर्श-7) तैयार की गई। तथ्यों की समग्रता में, विचारण न्यायालय ने यह माना कि अपहृत बच्चे की बरामदगी अपीलकर्ता के घर से उसकी उपस्थिति में उसके सचेत कब्जे से हुई थी और यह भा.दं.सं. की धारा 364-ए के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। व्यथित होने और अपील दायर करने पर, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, धारा 364-ए के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते हैं, इसलिए निर्देशित दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। धारा 364-ए के तहत अपराध के लिए, आवश्यक तत्व अपहृत

व्यक्ति को बंधक बनाकर रखना और साथ ही उसे चोट पहुँचाने या मृत्यु कारित करने की धमकी देना, या ऐसी उचित आशंका होना है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है या उसे चोट पहुँचाई जा सकती है। इन दोनों शर्तों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग-अलग। इसके अतिरिक्त, उस व्यक्ति द्वारा फिरौती की मांग की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, यह सिद्ध नहीं हुआ है कि अपीलकर्ता द्वारा ऐसी कोई मांग की गई थी।

7. अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन का पूरा मामला सह-अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद महतो के इकबालिया बयान पर आधारित है, जो कि साक्ष्य का ठोस हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, न तो सूचक राजेंद्र कुमार (बच्चे के पिता), जो छापेमारी में अन्वेषण अधिकारी के साथ गए थे, और न ही अपहृत बच्चे उन्नत राज (अभियोजन साक्षी-12) ने अपीलकर्ता की पहचान की थी और बच्चे की बरामदगी भी संदेहास्पद प्रतीत होती है। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाए और दोषसिद्धि को अपास्त किया जाए।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि छापेमारी के दौरान, बच्चा अपीलकर्ता के घर की छत पर स्थित कमरे में सोता हुआ पाया गया था। अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त सुधीर महतो भी वहां उपस्थित पाए गए थे। सह-अभिवुक्त प्रमोद महतो, जो बरहिया रेलवे स्टेशन के पास मंदिर के निकट फिरौती लेने आया था और जिसे पुलिस ने दबोच लिया था, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिन निकलने के पूर्व बच्चे की बरामदगी अपीलकर्ता के सचेत कब्जे से की गई थी। बरामदगी के बाद, प्रदर्श-7 (जब्ती सूची) तैयार की गई थी, जिस पर अपीलकर्ता और दो स्वतंत्र साक्षियों, अर्थात् संजय महतो (अभियोजन साक्षी-1) और सदानंद कुमार (अभियोजन साक्षी-2) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह घटनास्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति की पुष्टि करता है। बच्चा सूचक को सौंप दिया

गया था और *जिम्मानामा* तैयार किया गया था। स्वतंत्र साक्षियों के बयानों के साथ-साथ प्रदर्श-7 और *जिम्मानामा* पूरी तरह से अन्वेषण अधिकारी कृष्ण चंद्र (अभियोजन साक्षी-11) की गवाही और इकबालिया बयान की पुष्टि करते हैं। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि वर्तमान अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुनने और अभियोजन के मामले के संबंध में अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हमारे विचार के लिए जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 364-ए के तहत *प्रथम दृष्टया* अपराध बनता है या नहीं? इसका उत्तर देने के लिए, धारा 364-ए का अवलोकन करना आवश्यक है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

> ***"364-ए. फिरौती, आदि के लिए अपहरण—***
>
> *जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करता है या ऐसे अपहरण या व्यपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर रखता है, और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या चोट पहुँचाने की धमकी देता है, या अपने आचरण से ऐसी उचित आशंका उत्पन्न करता है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है या उसे चोट पहुँचाई जा सकती है, या सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने से परहेज करने के लिए अथवा फिरौती देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को चोट पहुँचाता है या उसकी मृत्यु कारित करता है, वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"*

साधारण पाठ से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त धारा 'फिरौती के लिए अपहरण' से संबंधित है

और उक्त अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने हेतु मूलतः तीन आवश्यक अवयवों का पूर्ण होना आवश्यक है; **प्रथम**, किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया गया हो तथा ऐसे अपहरण या व्यपहरण के पश्चात उसे निरुद्ध रखा गया हो; **द्वितीय**, अपहृत व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे उपहति पहुँचाने की धमकी दी गई हो, अथवा ऐसी उपहति की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न की गई हो; **तृतीय**, ऐसा कृत्य सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए विवश करने, अथवा फिरौती दिलाने के उद्देश्य से किया गया हो।

10. इस न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय ***'शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य,*** (2021) 9 एस.सी.सी. 59' में धारा 364-ए के अंतर्गत अपराध स्थापित करने हेतु अभियोजन द्वारा सिद्ध किए जाने वाले पूर्वापेक्षित तत्वों को पुनः प्रतिपादित किया है। उक्त निर्णय की कंडिका 33 में न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अवलोकित किया है—

> *"33. उपर्युक्त प्रकरणों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि तथा धारा 364-ए के वैधानिक उपबंध का अवलोकन करने के पश्चात हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धारा 364-ए के अंतर्गत किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा निम्नलिखित आवश्यक अवयवों का सिद्ध किया जाना अपेक्षित है :*
>
> *(i) किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करना अथवा ऐसे अपहरण या व्यपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखना; तथा*
>
> *(ii) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे उपहति पहुँचाने की धमकी देना, अथवा अपने आचरण द्वारा यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करना कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है या उसे उपहति पहुँचाई जा सकती है; अथवा*

(iii) सरकार या किसी विदेशी राज्य या किसी सरकारी संगठन अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से विरत रहने के लिए विवश करने अथवा फिरौती दिलाने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को उपहति पहुँचाना या उसकी मृत्यु कारित करना।

अतः, प्रथम शर्त सिद्ध हो जाने के पश्चात एक और शर्त का पूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम शर्त के पश्चात "तथा" शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए प्रथम शर्त के अतिरिक्त या तो शर्त (ii) अथवा शर्त (iii) का सिद्ध किया जाना आवश्यक है, अन्यथा धारा 364-ए के अंतर्गत दोषसिद्धि बनाए नहीं रखी जा सकती।"

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा 364-ए में पहली शर्त के बाद शब्द 'तथा' का प्रयोग यह दर्शाता है कि पहली शर्त स्वतंत्र नहीं है, और इसे उसमें निर्धारित अन्य शर्तों से अलग या विलग करके नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, इस धारा के तहत दोषसिद्धि के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पहली शर्त, अर्थात् अपहरण या उत्परण या ऐसे अपहरण या उत्परण के बाद बंधक बनाने का कार्य, या तो मृत्यु या चोट पहुँचाने की धमकी के साथ जुड़ा होना चाहिए या ऐसे आचरण के साथ होना चाहिए जिससे व्यपहृत व्यक्ति के मन में मृत्यु या चोट की उचित आशंका उत्पन्न हो; अथवा सरकार या किसी विदेशी राज्य या किसी सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से परहेज करने के लिए अथवा फिरौती देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उसे चोट पहुँचाई जाए या उसकी मृत्यु कारित की जाए।

11. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष धारा 364-ए के तहत निर्दिष्ट तत्वों और इस न्यायालय द्वारा *'शेख अहमद' (उपरोक्त)* मामले में दिए गए सिद्धांत, विशेष रूप से

कण्डिका 33, के अनुरूप हैं ताकि निर्देशित दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सके।

12. सिद्ध किए जाने वाले आवश्यक तत्वों के संदर्भ में, यदि हम प्रस्तुत साक्ष्य को देखें, तो यह स्पष्ट है कि राजेंद्र कुमार (अभियोजन साक्षी-13) - सूचक/बच्चे के पिता, सुमा कुमारी (अभियोजन साक्षी-15) - बच्चे की माता और व्यपहृत बच्चा, अर्थात् उन्नत राज (अभियोजन साक्षी-12) ने अपने बयानों में अभियुक्त की पहचान नहीं की है। दोषसिद्धि मुख्य रूप से अन्वेषण अधिकारी, कृष्ण चंद्र (अभियोजन साक्षी-11) के मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। प्रस्तुत सामग्री के परीक्षण पर यह पाया गया है कि वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध मुख्य आरोप सह-अभियुक्त प्रमोद कुमार महतो के इकबालिया बयान पर आधारित है, जो फरार है। उक्त सह-अभियुक्त ने अपने इकबालिया बयान में खुलासा किया था कि बच्चा वर्तमान अपीलकर्ता के घर में है और छापेमारी करने पर बच्चा बरामद किया गया था। हालाँकि, अभिलेख के अवलोकन से यह देखा गया है कि यह निर्धारित करने के लिए कोई जांच नहीं की गई थी कि जिस घर से बच्चा बरामद किया गया था वह अपीलकर्ता का था या नहीं। यह निर्विवाद है कि बरामदगी अपीलकर्ता के दूसरे घर से हुई थी न कि उसके मूल/पहले घर से। इसके अतिरिक्त, जब्ती सूची (प्रदर्श-7) में बच्चे की बरामदगी के संबंध में कोई जानकारी शामिल नहीं थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि पुलिस द्वारा आयोजित पहचान परेड में, पिता (अभियोजन साक्षी-13) द्वारा अपीलकर्ता की पहचान नहीं की गई है। बच्चे ने भी न्यायालय में अपीलकर्ता को नहीं पहचाना है, जबकि यह आरोप था कि बच्चा लगभग 15 दिनों तक अपीलकर्ता के साथ था।

13. फिरौती की मांग के पहलू पर आते हुए, अभिलेख से यह पाया गया है कि घटना के 15 दिनों के बाद, दिनांक 08.11.2002 को सुमा कुमारी (अभियोजन साक्षी-15) ने पुलिस को सूचित किया कि उनके देवर, जितेंद्र कुमार को उनके मोबाइल नंबर 9835231064 पर फोन नंबर 262694 से एक फोन आया था, जिसमें बच्चे की रिहाई के लिए रेलवे

स्टेशन बरहिया पर 4 लाख रुपये की फिरौती पहुँचाने की मांग की गई थी। राजेंद्र कुमार (अभियोजन साक्षी-13) ने गवाही दी है कि उन्हें लगभग 4 से 5 लाख रुपये की मांग वाले फिरौती के पत्र प्राप्त हुए थे। इस मोड़ पर, यह ध्यान देना उचित है कि अभियोजन का पूरा मामला कृष्ण चंद्र (अभियोजन साक्षी-11) - अन्वेषण अधिकारी के बयान पर आधारित है, हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट होता है, न तो उन्होंने फिरौती के पत्रों के बारे में कुछ गवाही दी है और न ही अपहरणकर्ताओं द्वारा किए गए फोन कॉल के संबंध में किसी जांच के बारे में कुछ बताया है। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता द्वारा की गई फिरौती की किसी भी मांग के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अभिलेख पर लाने में भी विफल रहा है।

14. अंत में, धारा 364-ए के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए, यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा बच्चे को मृत्यु कारित करने या चोट पहुँचाने की कोई धमकी दी गई थी या नहीं? अभियोजन के मामले के अनुसार, अपहृत बच्चा 15 दिनों की अवधि तक अपीलकर्ता के साथ था और छापेमारी के दौरान, वह अपीलकर्ता के घर के कमरे में सोता हुआ पाया गया था। चिकित्सा प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, यह पाया गया है कि बच्चे को केवल खरोंच जैसी साधारण चोट आई थी। इसके अतिरिक्त, स्वयं बच्चे (अभियोजन साक्षी-12) ने अपने बयान में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जिससे यह प्रतीत हो कि अपीलकर्ता ने उसे मृत्यु कारित करने या चोट पहुँचाने की धमकी दी थी। ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन का मामला त्रुटियों से ग्रसित है और वर्तमान अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

15. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष धारा 364-ए के तहत परिकल्पित शर्तों को एक साथ सिद्ध करने में विफल रहा है, विशेष रूप से इस न्यायालय के *शेख अहमद (उपरोक्त)* वाले निर्णय की कण्डिका 33 के

अनुसार। तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बाढ़ द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के निर्णय दिनांक 27.10.2009, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.07.2015 के माध्यम से की गई थी, को अपास्त किया जाता है।

16. अपीलकर्ता की सजा को इस न्यायालय के दिनांक 11.01.2019 के आदेश द्वारा पहले ही निलंबित कर दिया गया है। दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जमानत बंधपत्रों को उन्मुक्त किया जाता है।

वाद का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

†*निर्णय-सार लेखन:* दिव्या पाण्डे

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।